



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 27 जनवरी, 2020

माघ 7, 1941 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 104/79-वि-1-2020-2(क)1-2020

लखनऊ, 27 जनवरी, 2020

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2020) जिससे राज्य कर अनुभाग-2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2020)

[भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैं:-

1-(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा।

(2) इस अध्यादेश की धारा 3,4,5,6,8,9,11,12 और 21 के उपबंध दिनांक 01 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त माने जायेंगे तथा धारा 2,7,10,13,14,15,16,17,18,19 व 20 के उपबंध ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होंगे जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भ

धारा 2 का
संशोधन

2-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खंड (4) में, शब्द "अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," के पश्चात् शब्द "राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण," बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 10 का
संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(क) उपधारा (1) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 1- द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जहां तक प्रतिफल को ब्याज या बट्टे के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से प्रदत्त छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति के मूल्य को, राज्य में आवर्त के मूल्य के अवधारण के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,-

(i) खंड (घ) के अन्त में आने वाले शब्द "और" को निकाल दिया जायेगा;

(ii) खंड (ङ) में शब्द "अधिसूचित किया जाए"; के स्थान पर शब्द "अधिसूचित किया जाए; और" रख दिये जाएंगे;

(iii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

"(च) वह न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है और न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:";

(ग) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(2क) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किन्तु धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन कर के संदाय का विकल्प लेने के लिए पात्र नहीं हैं और जिसका पूर्व वित्तीय वर्ष का सकल आवर्त पचास लाख रुपए से अधिक नहीं है, उसके द्वारा धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन संदेय कर के स्थान पर, विहित की जाने वाली दर पर, जो राज्य में उसकी आवर्त के तीन प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, संगणित कर की रकम का निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प ले सकेगा, यदि वह,-

(क) किसी ऐसे माल या सेवाओं की पूर्ति करने में नहीं लगा है, जो इस अधिनियम के अधीन कर के लिये उद्ग्रहणीय नहीं हैं;

(ख) माल या सेवाओं की अंतर्राज्यीय जावक पूर्ति करने में नहीं लगा है;

(ग) किसी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक प्रचालक के माध्यम से माल या सेवाओं की ऐसी पूर्ति में नहीं लगा है, जिससे धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करना अपेक्षित है;

(घ) ऐसे माल का विनिर्माता या ऐसी सेवाओं का पूर्तिकार नहीं है, जो सरकार द्वारा परिषद् की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाएं; और

(ङ) न तो कोई नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति है या न ही कोई अनिवासी कराधेय व्यक्ति है:

परंतु जहां एक से अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों का आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी स्थायी खाता संख्यांक एक ही है, वहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, इस उपधारा के अधीन योजना का तब तक के लिए विकल्प का चुनाव करने का पात्र नहीं होगा, जब तक ऐसे सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति इस उपधारा के अधीन कर का संदाय करने के विकल्प का चुनाव नहीं करते हैं";

(घ) उपधारा (3) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)," दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर यथास्थिति " उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(ङ) उपधारा (4) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क) बढ़ा दिये जायेंगे;

(च) उपधारा (5) में, शब्द, कोष्ठक और अंक "उपधारा (1)" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर "यथास्थिति उपधारा (1) या उपधारा (2क)" बढ़ा दिये जायेंगे;

(छ) उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"स्पष्टीकरण 1- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति की कर संदाय करने की पात्रता का निर्धारण करने के लिए उसके सकल आवर्त की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए पद "सकल आवर्त" के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की आपूर्तियां सम्मिलित होंगी जब वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण हेतु दायी बन जाता है, किन्तु इसमें सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

स्पष्टीकरण 2- इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा संदेय कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, पद "राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में आवर्त" में निम्नलिखित पूर्तियों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, अर्थात् :-

(i) किसी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से उस तिथि तक की पूर्तियां, जब ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का दायी बन जाता है ; और

(ii) सेवाओं की ऐसी करमुक्त पूर्ति, जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हो और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।

4-मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) में, द्वितीय परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक तथा स्पष्टीकरण बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-

धारा 22 का संशोधन

"परंतु यह भी कि सरकार, परिषद की सिफारिशों पर बीस लाख रुपये के सकल आवर्त को ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो किसी ऐसे पूर्तिकार की दशा में, जो माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, चालीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और यह ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए किया जाएगा, जो अधिसूचित की जाएं।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति के संबंध में तब भी यह समझा जाएगा कि वह माल की अनन्य पूर्ति में लगा है, यदि वह सेवाओं की ऐसी करमुक्त आपूर्ति में लगा हुआ है जो निक्षेपों, ऋणों या अग्रिमों को विस्तारित कर प्रदान की गयी हों और जहां प्रतिफल, ब्याज या छूट के रूप में प्रदर्शित हो।"

5-मूल अधिनियम की धारा 25 में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

धारा 25 का संशोधन

"(6क) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, विहित किये जाने वाले प्ररूप और रीति में तथा समय के भीतर सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा :

परंतु यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति में, जो परिषद की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सत्यापन कराये जाने या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करने या पहचान का कोई वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रस्तुत करने में विफल रहने की दशा में ऐसे व्यक्ति को आवर्तित रजिस्ट्रीकरण अविधिमान्य समझा जाएगा और इस अधिनियम के अन्य उपबंध, इस प्रकार लागू होंगे मानों ऐसे व्यक्ति के पास रजिस्ट्रीकरण नहीं है।

(6ख) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही प्रत्येक व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु परिषद की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति में सत्यापन कराएगा या आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां किसी व्यष्टि को, आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, वहां व्यष्टि को पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6ग) अधिसूचित की जाने वाली तारीख को ही, व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यक्ति, रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी के लिए पात्र बनने हेतु, सत्यापन कराएगा या ऐसी रीति में, जो अधिसूचित की जाए, कर्ता, प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, ऐसे भागीदारों, यथास्थिति, संगम की प्रबन्ध समिति, न्यासी बोर्ड के सदस्यों, प्राधिकृत प्रतिनिधियों, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं और व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्गों द्वारा, ऐसी रीति में, जो परिषद् की सिफारिशों पर सरकार द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, आधार संख्यांक को धारित करने का सबूत प्रस्तुत करेगा:

परंतु जहां ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे अन्य वर्ग, जिन्हें आधार संख्यांक समनुदेशित नहीं किया गया है, उन्हें पहचान का कोई ऐसा वैकल्पिक और व्यवहार्य साधन प्रदान किया जाएगा, जो परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार द्वारा उक्त अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6घ) उपधारा (6क) या उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबन्ध, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग या राज्य या राज्य के किसी ऐसे भाग के लिये लागू नहीं होंगे, जिसे परिषद् की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "आधार संख्यांक" का वही अर्थ होगा, जो आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, फायदों तथा सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 2 के खंड (क) में उसके लिए निर्दिष्ट है।"

6-मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी,

नई धारा 31क
का बढ़ाया जाना
प्रासिकर्ता को
डिजिटल संदाय
की सुविधा

अर्थात् :-

"31क. सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को विहित कर सकेगी, जो उसके द्वारा की गयी माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति के प्रासिकर्ता को इलेक्ट्रॉनिक संदाय का विहित ढंग उपलब्ध कराएगा और तदनुसार ऐसे प्रासिकर्ता को ऐसी रीति और ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो विहित किए जाएं, अधीन रहते हुए संदाय करने का विकल्प उपलब्ध कराएगा।"

धारा 39 का
संशोधन

7-मूल अधिनियम की धारा 39 में,-

(क) उपधारा (1) और उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात्:-

"(1) किसी इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति या धारा 10 या धारा 51 या धारा 52 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति से भिन्न प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक क्लेण्डर मास या उसके किसी भाग के लिए माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गए इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप, एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से विवरणी प्रस्तुत करेगा:

परंतु सरकार, परिषद् की सिफारिश पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय वर्ग को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए प्रत्येक तिमाही या उसके किसी भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाला कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग के लिए, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर, संदत्त कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रारूप तथा रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य में आवर्त की विवरणी प्रस्तुत करेगा।";

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :-

"(7) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है और जो ऐसे व्यक्ति से भिन्न है, जिसे उसके परंतुक या उपधारा (3) या उपधारा (5) में निर्दिष्ट किया गया है, सरकार को, ऐसी विवरणी के अनुसार देय कर का संदाय अंतिम तारीख, जिस पर उसके द्वारा ऐसी विवरणी प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, से पूर्व करेगा :

परंतु उपधारा (1) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी मास के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक पूर्तियों, प्राप्त किए गये इनपुट कर प्रत्यय, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा :

परंतु यह और कि उपधारा (2) के परंतुक के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, किसी तिमाही के दौरान, माल या सेवाओं या दोनों की आवक पूर्तियों, संदेय कर और ऐसी अन्य विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्रारूप एवं रीति में और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, सरकार को देय कर का संदाय करेगा।"

8-मूल अधिनियम की धारा 44 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु वह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।"

9-मूल अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

"(10) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, सामान्य पोर्टल पर, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में उपलब्ध किसी कर, ब्याज, शास्ति, फीस की किसी रकम या किसी अन्य रकम को एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर या उपकर संबंधी इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित कर सकेगा और ऐसे अंतरण को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से प्रतिदाय के रूप में समझा जाएगा।

(11) जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते में अंतरित किया गया है, वहां उसे उपधारा (1) में यथा उपबंधित रूप में उक्त खाते में जमा किया गया समझा जाएगा।"

10-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु किसी कर अवधि के दौरान की गई पूर्तियों के संबंध में संदेय कर पर ब्याज, जिसे धारा 39 के उपबंधों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विवरणी में घोषित किया गया है, सिवाय वहां के, जहां ऐसी विवरणी को उक्त अवधि के संबंध में धारा 73 या धारा 74 के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के प्रारंभ के पश्चात् प्रस्तुत किया जाता है, कर के उस भाग पर उद्गृहीत किया जाएगा, जिसका संदाय इलेक्ट्रानिक नकद खाते से निकालकर किया गया है।"

11-मूल अधिनियम की धारा 52 में,-

(क) उपधारा (4) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

"परंतु आयुक्त, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।";

धारा 44 का संशोधन

धारा 49 का संशोधन

धारा 50 का संशोधन

धारा 52 का संशोधन

(ख) उपधारा (5) में, निम्नलिखित परंतुक बढ़ा दिये जाएंगे, अर्थात् :-

“परंतु आयुक्त, परिषद् की सिफारिशों पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के ऐसे वर्ग के लिए, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा के किसी विस्तारण को आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा।”

नई धारा 53क
का बढ़ाया जाना

12-मूल अधिनियम की धारा 53 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी,

अर्थात् :-

“53क. जहां किसी रकम को इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक नकद खाते से कतिपय रकमों केन्द्रीय कर या एकीकृत कर या उपकर हेतु इलेक्ट्रानिक नकद खाते में का अंतरण अंतरित किया जाता है, वहां सरकार केन्द्रीय कर खाता या एकीकृत कर खाता या उपकर खाते को, इलेक्ट्रानिक नकद खाते से अंतरित की गयी रकम के समतुल्य रकम का ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, अंतरण करेगी”।

धारा 54 का
संशोधन

13-मूल अधिनियम की धारा 54 में, उपधारा (8) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

“(8क) जहां केन्द्र सरकार ने राज्य कर के प्रतिदाय का संवितरण किया हो, वहां राज्य सरकार इस प्रकार प्रतिदायकृत रकम के समतुल्य रकम, केन्द्र सरकार को अंतरित करेगी।”

धारा 95 का
संशोधन

14-मूल अधिनियम की धारा 95 में, -

(i) उपखंड (क) में, -

(क) शब्द “अपील प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” रख दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक “धारा 100 की उपधारा (1)” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “धारा 100 की उपधारा (1) या धारा 101ग” बढ़ा दिये जाएंगे;

(ii) उपखंड (ड) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :-

“(च) ‘राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण’ से धारा 101क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है।”

नई धारा 101क,
101ख और
101ग का बढ़ाया
जाना

15-मूल अधिनियम की धारा 101 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएंगी, अर्थात् :-

“101क. इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ, इस अध्याय के उपबंधों के अधधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण का गठन केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 101क के अधीन गठित राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकरण समझा जाएगा।”

“101ख. (1) जहां धारा 97 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रश्नों के संबन्ध में, धारा 101 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन दो राष्ट्रीय अपील प्राधिकरणों को या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या दोनों के अपील प्राधिकरणों द्वारा विरोधाभासी अग्रिम विनिर्णय दिए जाते हैं, वहां आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या आवेदक, जो धारा 25 में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्ति है और जो ऐसे अग्रिम विनिर्णय से व्यथित है, वह राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा :

परंतु अधिकारी उन राज्यों से होगा, जिनमें ऐसे अग्रिम विनिर्णय दिए गए हैं।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गयी है, आवेदक, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारियों को संसूचित किये जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर दाखिल की जाएगी :

परन्तु आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, उस तारीख से, जिस तारीख को वह विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी को संसूचित किये जाने के नब्बे दिन की अवधि के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा :

परन्तु यह और कि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को, यथास्थिति, उक्त तीस दिन या नब्बे दिन के भीतर अपील प्रस्तुत करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था, तो वह ऐसी अपील को तीस दिन से अनधिक अग्रतर अवधि के भीतर प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण - शंकाओं के निराकरण के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यथास्थिति तीस दिन या नब्बे दिन की अवधि की गणना, उस तारीख से की जाएगी, जिस तारीख को अंतिम विरोधाभासी विनिर्णय को, जिसके विरुद्ध अपील चाही गई है, संसूचित किया गया था ।

(3) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील, ऐसे प्रारूप में होगी, जिसके साथ ऐसी फीस होगी और उसे ऐसी रीति में सत्यापित किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए।”

“101ग. (1) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण का आदेश अधिकारी, केंद्रीय कर के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त, मुख्य आयुक्त तथा सभी राज्यों के राज्य कर मुख्य आयुक्त तथा आयुक्त और सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस विनिर्णय, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, को पुष्ट या उपांतरित करते हुये ऐसा आदेश कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे ।

(2) यदि राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण के सदस्यों की किसी बिन्दु पर भिन्न राय हो तो उसका विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार किया जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट आदेश धारा 101ख के अधीन अपील फाइल करने की तारीख से यथासंभव नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(4) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा सुनाए गए अग्रिम विनिर्णय की प्रति को सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में प्रमाणित किया जाएगा, जो विहित की जाए, और उसे सुनाए जाने के पश्चात् यथास्थिति, आवेदक, आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, बोर्ड, सभी राज्यों के राज्य कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त तथा सभी संघ राज्यक्षेत्रों के संघ राज्यक्षेत्र कर के मुख्य आयुक्त और आयुक्त को और प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण को भेजा जाएगा ।”

16-मूल अधिनियम की धारा 102 में, प्रारम्भिक भाग में, -

(क) शब्द “अपील प्राधिकरण” दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हों, के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द तथा अंक “या धारा 101” के पश्चात् शब्द, अंक तथा अक्षर “या धारा 101ग” बढ़ा दिये जायेंगे;

(ग) शब्द “या अपीलार्थी” के स्थान पर शब्द “अपीलार्थी, प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण” रख दिये जाएंगे।

17-मूल अधिनियम की धारा 103 में,-

(i) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात्:-

“(1क) राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण द्वारा इस अध्याय के अधीन सुनाया गया अग्रिम विनिर्णय निम्नलिखित पर बाध्यकारी होगा-

(क) आवेदक, जो सुभिन्न व्यक्ति हैं, जिन्होंने धारा 101ख की उपधारा (1) के अधीन विनिर्णय चाहा हो और सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी किया गया एक ही स्थायी लेखा संख्या हो;

धारा 102 का संशोधन

धारा 103 का संशोधन

धारा 104 का
संशोधन

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट आवेदकों के संबंध में संबंधित अधिकारी और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी और ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिनके पास आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी एक ही स्थायी लेखा संख्या हो।”;

(ii) उपधारा (2) में शब्द, कोष्ठक और अंक “उपधारा (1)” के पश्चात् शब्द, कोष्ठक, अंक तथा अक्षर “और उपधारा (1क)” बढ़ा दिये जाएंगे।

18-मूल अधिनियम की धारा 104 में, उपधारा (1) में,-

(क) शब्द “प्राधिकरण या अपील प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” बढ़ा दिये जाएंगे;

(ख) शब्द और अंक “धारा 101” के पश्चात् शब्द, अंक और अक्षर “या धारा 101ग के अधीन” बढ़ा दिये जाएंगे।

धारा 105 का
संशोधन

19-मूल अधिनियम की धारा 105 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की शक्तियां”;

(ख) उपधारा (1) में, शब्द “अपील प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” बढ़ा दिये जाएंगे;

(ग) उपधारा (2) में, शब्द “अपील प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 106 का
संशोधन

20-मूल अधिनियम की धारा 106 में,-

(क) पार्श्व शीर्ष के स्थान पर निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष रख दिया जाएगा, अर्थात्:-

“प्राधिकरण, अपील प्राधिकरण और राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण की प्रक्रिया”;

(ख) शब्द “अपील प्राधिकरण” के पश्चात् शब्द “या राष्ट्रीय अपील प्राधिकरण” बढ़ा दिये जायेंगे।

धारा 171 का
संशोधन

21-मूल अधिनियम की धारा 171 में, उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित संशोधन बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) जहां उक्त उपधारा की अपेक्षानुसार जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने उपधारा (1) के अधीन मुनाफाखोरी की है, वहां ऐसा व्यक्ति इस प्रकार मुनाफाखोरी की गई रकम के दस प्रतिशत के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा:

परंतु यह कि ऐसी कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं होगी, यदि मुनाफाखोरी की रकम को प्राधिकरण द्वारा आदेश पारित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर जमा करा दिया गया है।

स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद “मुनाफाखोरी” से ऐसी रकम अभिप्रेत है, जिसे माल या सेवा या दोनों के प्रदाय पर कर की दर में कमी का फायदा या इनपुट कर प्रत्यय का फायदा माल या सेवा या दोनों की कीमत में कमी की अनुरूपता के माध्यम से प्राप्तकर्ता को नहीं देने के कारण अवधारित किया गया है।

आनंदीबेन पटेल,

राज्यपाल,

उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

जे०पी० सिंह-II,

प्रमुख सचिव।

No. 104(2)/LXXIX-V-1-2020-2(ka)1-2020

Dated Lucknow, January 27, 2020

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Mal Aur Sewa Kar (Sanshodhan) Adhyadesh, 2020 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 1 of 2020) promulgated by the Governor. The Rajya Kar Anubhag-2 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX

(AMENDMENT) ORDINANCE, 2020

(U.P. ORDINANCE no. 1/2020)

[Promulgated by the Governor in the Seventy-first Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :-

1. (1) This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2020.

Short title and commencement:

(2) The provisions of sections 3,4,5,6,8,9,11,12 and 21 of this Ordinance shall be deemed to come into force with effect to the 1st January, 2020 and provisions of sections 2,7,10,13,14,15,16,17,18,19 and 20 of this Ordinance shall come into force at such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 hereinafter referred as the principal Act, in clause (4) after the words "the Appellate Authority for Advance Ruling," the words "the National Appellate Authority for Advance Ruling," shall be inserted;

Amendment of section 2

3. In section 10 of the principal Act,—

Amendment of section 10

(a) in sub-section (1) after the second proviso the following Explanation shall be inserted, namely:—

"Explanation.— For the purposes of second proviso, the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount shall not be taken into account for determining the value of turnover in a State.";

(b) in sub-section (2),—

(i) in clause (d), the word "and" occurring at the end shall be omitted;

(ii) in clause (e), for the word "Council:", the words "Council; and" shall be substituted;

(iii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) he is neither a casual taxable person nor a non-resident taxable person:";

(c) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2A) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, but subject to the provisions of sub-sections (3) and (4) of section 9, a registered

person, not eligible to opt to pay tax under sub-section (1) and sub-section (2), whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed fifty lakh rupees, may opt to pay, in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed, but not exceeding three percent of the turnover in State, if he is not—

(a) engaged in making any supply of goods or services which are not leviable to tax under this Act;

(b) engaged in making any inter-State outward supplies of goods or services;

(c) engaged in making any supply of goods or services through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52;

(d) a manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the Government on the recommendations of the Council; and

(e) a casual taxable person or a non-resident taxable person:

Provided that where more than one registered person are having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under this sub-section unless all such registered persons opt to pay tax under this sub-section.”;

(d) in sub-section (3), *after* the words, brackets and figure “under sub-section (1)” at both the places where they occur, the words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be *inserted*.

(e) in sub-section (4), *after* the words, brackets and figure “of sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “or, as the case may be, sub-section (2A)” shall be *inserted*.

(f) in sub-section (5), *after* the words, brackets and figure “under sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “or sub-section (2A), as the case may be,” shall be *inserted*.

(g) *after* sub-section (5), the following Explanations shall be *inserted*, namely:—

Explanation 1.— For the purposes of computing aggregate turnover of a person for determining his eligibility to pay tax under this section, the expression “aggregate turnover” shall include the value of supplies made by such person to the 1st day of April of a financial year upto the date when he becomes liable for registration under this Act, but shall not include the value of exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.

Explanation 2.— For the purposes of determining the tax payable by a person under this section, the expression “turnover in State or turnover in Union territory, shall not include the value of following supplies, namely :—

(i) supplies to the first day of April of a financial year upto the date when such person becomes liable for registration under this Act; and

(ii) exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.’.

4. In section 22 of the principal Act, in sub-section (1), *after* the second proviso, the following proviso and explanation shall be *inserted*, namely:—

Amendment of
section 22

“Provided also that the Government may, on the recommendations of the Council, enhance the aggregate turnover from twenty lakh rupees to such amount not exceeding forty lakh rupees in case of supplier who is engaged exclusively in the supply of goods, subject to such conditions and limitations, as may be notified.

Explanation.— For the purposes of this sub-section, a person shall be considered to be engaged exclusively in the supply of goods even if he is engaged in exempt supply of services provided by way of extending deposits, loans or advances in so far as the consideration is represented by way of interest or discount.”

5. In section 25 of the principal Act, *after* sub-section (6), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—

Amendment of
section 25

“(6A) Every registered person shall undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such form and manner and within such time as may be prescribed:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to the registered person, such person shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as Government may, on the recommendations of the Council, prescribe:

Provided further that in case of failure to undergo authentication or furnish proof of possession of Aadhaar number or furnish alternate and viable means of identification, registration allotted to such person shall be deemed to be invalid and the other provisions of this Act shall apply as if such person does not have a registration.

(6B) On and from the date of notification, every individual shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number, in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification:

Provided that if an Aadhaar number is not assigned to an individual, such individual shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6C) On and from the date of notification, every person, other than an individual, shall, in order to be eligible for grant of registration, undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number of the Karta, Managing Director, whole time Director, such number of partners, Members of Managing Committee of Association, Board of Trustees, authorised representative, authorized signatory and such other class of persons, in such manner, as the Government may, on the recommendation of the Council, specify in the said notification:

Provided that where such person or class of persons have not been assigned the Aadhaar Number, such person or class of persons shall be offered alternate and viable means of identification in such manner as the Government may, on the recommendations of the Council, specify in the said notification.

(6D) The provisions of sub-section (6A) or sub-section (6B) or sub-section (6C) shall not apply to such person or class of persons or any State or part thereof, as the Government may, on the recommendations of the Council, specify by notification.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression “Aadhaar number” shall have the same meaning as assigned to it in clause (a) of section 2 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (Act no. of 2016).”

Insertion of new
section 31A

6. After section 31 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“31A. The Government may, on the recommendations of the Council, prescribe a class of registered persons who shall provide prescribed modes of electronic payment to the recipient of supply of goods or services or both made by him and give option to such recipient to make payment accordingly, in such manner and subject to such conditions and restrictions, as may be prescribed.”

Amendment of
section 39

7. In section 39 of the principal Act,—

(a) for sub-sections (1) and (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) Every registered person, other than an Input Service Distributor or a non-resident taxable person or a person paying tax under the provisions of section 10 or section 51 or section 52 shall, for every calendar month or part thereof, furnish, a return, electronically, of inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable, tax paid and such other particulars, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain class of registered persons who shall furnish a return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and restrictions as may be specified therein.

(2) A registered person paying tax under the provisions of section 10, shall, for each financial year or part thereof, furnish a return, electronically, of turnover in the State, inward supplies of goods or services or both, tax payable, tax paid and such other particulars in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”;

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(7) Every registered person who is required to furnish a return under sub-section (1), other than the person referred to in the proviso thereto, or sub-section (3) or sub-section (5), shall pay to the Government the tax due as per such return not later than the last date on which he is required to furnish such return:

Provided that every registered person furnishing return under the proviso to sub-section (1) shall pay to the Government, the tax due taking into account inward and outward supplies of goods or services or both, input tax credit availed, tax payable and such other particulars during a month, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed:

Provided further that every registered person furnishing return under sub-section (2) shall pay to the Government the tax due taking into account turnover in the State inward supplies of goods or services or both, tax payable, and such other particulars during a quarter, in such form and manner, and within such time, as may be prescribed.”

Amendment of
section 44

8. In section 44 of the principal Act, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual return for such class of registered persons as may be specified therein:

Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”

9. In section 49 of the principal Act, *after* sub-section (9), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—
- “ (10) A registered person may, on the common portal, transfer any amount of tax, interest, penalty, fee or any other amount available in the electronic cash ledger under this Act, to the electronic cash ledger for integrated tax, central tax, State tax, Union territory tax or cess, in such form and manner and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and such transfer shall be deemed to be a refund from the electronic cash ledger under this Act.
- (11) Where any amount has been transferred to the electronic cash ledger under this Act, the same shall be deemed to be deposited in the said ledger as provided in sub-section (1).”
10. In section 50 of the principal Act, in sub-section (1), the following proviso shall be *inserted*, namely:—
- “Provided that the interest on tax payable in respect of supplies made during a tax period and declared in the return for the said period furnished after the due date in accordance with the provisions of section 39, except where such return is furnished after commencement of any proceedings under section 73 or section 74 in respect of the said period, shall be levied on that portion of the tax that is paid by debiting the electronic cash ledger.”
11. In section 52 of the principal Act,—
- (a) in sub-section (4), the following provisos shall be *inserted*, namely:—
- “Provided that the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the statement for such class of registered persons as may be specified therein:
- Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”;
- (b) in sub-section (5), the following provisos shall be *inserted*, namely:—
- “Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the Council and for reasons to be recorded in writing, by notification, extend the time limit for furnishing the annual statement for such class of registered persons as may be specified therein:
- Provided further that any extension of time limit notified by the Commissioner of Central tax shall be deemed to be notified by the Commissioner.”
12. *After* section 53 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—
- “53A. Where any amount has been transferred from the electronic cash ledger under this Act to the electronic cash ledger for Central Tax or integrated tax or cess, the Government shall, transfer to the Central tax account, or integrated tax account or cess account an amount equal to the amount transferred from the electronic cash ledger, in such manner and within such time as may be prescribed.”
13. In section 54 of the principal Act, *after* sub-section (8), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- “(8A) Where the Central Government has disbursed the refund of the State tax, the Government shall transfer an amount equal to the amount so refunded, to the Central Government.”
14. In section 95 of the principal Act—
- (i) in clause (a)—
- (a) *after* the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*;
- (b) *after* the words and figures “of section 100”, the words, figures and letter “or of section 101C” shall be *inserted*;
- (ii) *after* clause (e), the following clause shall be *inserted*, namely:—
- “(f) ‘National Appellate Authority’ means the National Appellate Authority for Advance Ruling referred to in section 101A.”

Amendment of section 49

Amendment of section 50

Amendment of section 52

Insertion of new section 53A

Amendment of section 54

Amendment of section 95

Transfer of certain amounts

Insertion of new sections 101A, 101B and 101C

15. After section 101 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:—

“101A. Subject to the provisions of this chapter, for the purposes of this Act, the National Appellate Authority for Advance Ruling constituted under section 101A of the Central Goods and Services Tax Act, shall be deemed to be the National Appellate Authority for Advance Ruling under this Act.

101B. (1) Where, in respect of the questions referred to in sub-section (2) of section 97, conflicting advance rulings are given by the Appellate Authorities of two or more States or Union territories or both under sub-section (1) or sub-section (3) of section 101, any officer authorised by the Commissioner or an applicant, being distinct person referred to in section 25 aggrieved by such advance ruling, may prefer an appeal to National Appellate Authority:

Provided that the officer shall be from the State in which such advance rulings have been given.

(2) Every appeal under this section shall be filed within a period of thirty days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the applicants, concerned officers and jurisdictional officers:

Provided that the officer authorised by the Commissioner may file appeal within a period of ninety days from the date on which the ruling sought to be appealed against is communicated to the concerned officer or the jurisdictional officer:

Provided further that the National Appellate Authority may, if it is satisfied that the appellant was prevented by a sufficient cause from presenting the appeal within the said period of thirty days, or as the case may be, ninety days, allow such appeal to be presented within a further period not exceeding thirty days.

Explanation:— For removal of doubts, it is clarified that the period of thirty days or as the case may be, ninety days shall be counted from the date of communication of the last of the conflicting rulings sought to be appealed against.

(3) Every appeal under this section shall be in such form, accompanied by such fee and verified in such manner as may be prescribed.

101C. (1) The National Appellate Authority may, after giving an opportunity of being heard to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, all Principal Chief Commissioners of Central tax and Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories, pass such order as it thinks fit, confirming or modifying the rulings appealed against.

(2) If the members of the National Appellate Authority differ in opinion on any point, it shall be decided according to the opinion of the majority.

(3) The order referred to in sub-section (1) shall be passed as far as possible within a period of ninety days from the date of filing of the appeal under section 101B.

(4) A copy of the advance ruling pronounced by the National Appellate Authority shall be duly signed by the Members and certified in such manner as may be prescribed and shall be sent to the applicant, the officer authorised by the Commissioner, the Board, the Chief Commissioner and Commissioner of State tax of all States and Chief Commissioner and Commissioner of Union territory tax of all Union territories and to the Authority or Appellate Authority, as the case may be, after such pronouncement.”

16. In section 102 of the principal Act, in the opening portion,—
- Amendment of section 102
- (a) *after* the words “Appellate Authority”, at both the places where they occur, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*;
- (b) *after* the words and figures “or section 101”, the words, figures and letter “or section 101C, respectively,” shall be *inserted*;
- (c) *for* the words “or the appellant”, the words “appellant, the Authority or the Appellate Authority” shall be *substituted*.
17. In section 103 of the principal Act,—
- Amendment of section 103
- (i) *after* sub-section (1), the following sub-section shall be *inserted*, namely:—
- “(1A) The advance ruling pronounced by the National Appellate Authority under this Chapter shall be binding on—
- (a) the applicants, being distinct persons, who had sought the ruling under sub-section (1) of section 101B of and all registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961;
- (b) the concerned officers and the jurisdictional officers in respect of the applicants referred to in clause (a) and the registered persons having the same Permanent Account Number issued under the Income-tax Act, 1961.”;
- (ii) in sub-section (2), *after* the words, brackets and figure “in sub-section (1)”, the words, brackets, figure and letter “and sub-section (1A)” shall be *inserted*.
18. In section 104 of the principal Act, in sub-section (1),—
- Amendment of section 104
- (a) *after* the words “Authority or the Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*;
- (b) *after* the words and figures “of section 101”, the words, figures and letter “or under section 101C” shall be *inserted*.
19. In section 105 of the principal Act,—
- Amendment of section 105
- (a) *for* the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—
- “Powers of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority”;
- (b) in sub-section (1), *after* the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*;
- (c) in sub-section (2), *after* the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*.
20. In section 106 of the principal Act,—
- Amendment of section 106
- (a) *for* the marginal heading, the following marginal heading shall be *substituted*, namely:—
- “Procedure of Authority, Appellate Authority and National Appellate Authority”;
- (b) *after* the words “Appellate Authority”, the words “or the National Appellate Authority” shall be *inserted*.
21. In section 171 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following amendment shall be *inserted*, namely:—
- Amendment of section 171
- “(3A) Where the Authority referred to in sub-section (2) after holding examination as required under the said sub-section comes to the conclusion that any registered person has profiteered under sub-section (1), such person

shall be liable to pay penalty equivalent to ten per cent of the amount so profiteered:

Provided that no penalty shall be leviable if the profiteered amount is deposited within thirty days of the date of passing of the order by the Authority.

Explanation:— For the purposes of this section, the expression “profiteered” shall mean the amount determined on account of not passing the benefit of reduction in rate of tax on supply of goods or services or both or the benefit of input tax credit to the recipient by way of commensurate reduction in the price of the goods or services or both.”

ANANDIBEN PATEL,

Governor,

Uttar Pradesh.

By order,

J. P. SINGH-II,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 599 राजपत्र-(हिन्दी)-2020-(1434)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 109 सा० विधायी-2020-(1435)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।